

# प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

**विपरिशिष्ट 'सोलह'**  
वार्याल प्रश्ना संक्र. [क्र. 6572] - 6572

[ 27/3/2017]

प्रामांक //95 / 11भू.प./मा.चि.श./म.टो./2012  
प्रति,

गवालियर दिनांक/ ५  
2012

अधीक्षक भू-अभिलेख,  
भू-अभिलेख शास्त्र  
कलेक्टर जिला-----  
(म.प्र.)।

**विषय-** मानवीय भुज्यमांडी जी की घोषणा क्र. ए ०९६९ मजरे टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने वायत् ।  
**संदर्भ-** (1) प्रमुख सचिव म.प्र. शारान राजस्व विभाग मंत्रालय भौपाल का समस्त कालेक्टर्स को सख्तीपूर्ण रूप से अधिकारियों की दिनांक 2.6.2012 को  
इस कार्यालय को पृष्ठांकित पत्र क्र.एफ 11-1/2010/सात-शा.6 भौपाल दिनांक 8 जुलाई 2011.  
(2) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 781/11भू.प./मा.चि.श./म.टो./2012 गवालियर दिनांक 16.4.2012।

उपर्युक्त विषय पर संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का काट करें। विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्तु गवालियर में अधीक्षक भू-अभिलेख अधिकारियों की दिनांक 2.6.2012 को आयोजित की गई बैठक में मान.आयुक्त भौपाल द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि भू-राजस्व संहिता के विहित प्राधिकारियों का अनुपालन करते हुए, ऐसे मजरे टोलों को चिन्हांकित करें जिन्हे राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया जा सकता है।

- (अ) अतः मजरे टोलों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन के लिये चिन्हांकित आएँड अपनाये जायेः  
मूल राजस्व ग्राम से मजरे टोलों की दूरी लगभग २ कि.मी.गा अधिक होनी चाहिये।
- (ब) प्रथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम का क्षेत्रफल 200 एकड़ से कम न हो, तथा पृथक हुए उक्त ग्राम की भावधी 200 या अधिक होनी चाहिये।
- (स) प्रथक बनाये जा रहे, राजस्व ग्राम की घतुर्सीमाये मूल ग्राम से एवं अन्य सीमावर्ती ग्रामों से मिलनी चाहिये, मजरे टोलों से पृथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम की सीमाये मूल ग्राम की सीमाओं के अन्दर ही स्थित न हो।

अतः उपरोक्त अ.ब.स के आएँडों एवं ग.प्र.भू-राजस्व संहिता द्वारा विहित ग्रावधानों को इसीगत रखते हुए जिले में, मजरे टोलों को राजस्व ग्राम बनाये जाने हेतु चिन्हांकित कर सूची, एवं सूचित किये जा रहे, नवीन राजस्व ग्रामों के मानचित्रों की प्रति, के साथ, आधिकारिक प्रस्ताव निर्देशानुसार 15 से 20 दिवस के अन्दर प्राथमिकता देकर तैयार कर इस कार्यालय को भिजवायें।

मजरे टोलों से बनाये जाने वाले नवीन राजस्व ग्रामों के प्रस्ताव, चिन्हांकित मजरे टोलों की नाम्यार सूची, ग्रामपरिष, सुस्पष्ट हो, इस स्थित का विशेषता: इसान रखे जाने वायत आदेशित किया जाता है।

संस्कृत आयुक्त  
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्तु  
मध्य प्रदेश

क्रमांक ८९५ / ११ भू.प्र./ मा.वि.शा./ भा.टो./ २०१२

प्रतिलिपि-

गवालियर दिनांक १५/६/२०१२

- १- कलेक्टर जिला सुमट्टी म.प्र.की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए लेख है, कि अधीनस्थ को विषयांकित जानकारी के, प्रस्ताव १५ से २० दिवस के भीतर निर्दशानुसार तैयार कराये जाकर इस कार्यालय को भिजवाये जाने हेतु कृपया आदेशित करने का कह करें।
- २- क्षेत्रीय उप आयुक्त भू-अधिकारी जिला सुमट्टी म.प्र.की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

रायुक्त आयुक्त  
भू-अधिकारी एवं बन्दोबस्तु  
गोप्य प्रदेश